

मात्स्यिकी सब्सिडी पर समझौता

प्रलिस के लयि:

वशिव व्यापार संगठन, मंत्रसितरीय सम्मेलन, भारत का मत्स्य पालन क्षेत्र, वशिश और वभिदक उपचार

मेन्स के लयि:

भारत के मत्स्य क्षेत्र का महत्त्व, भारत के हति और अर्थव्यवस्था पर अंतरराष्टरीय समूहों की नीतियों का प्रभाव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [वशिव व्यापार संगठन \(WTO\)](#) की [मंत्रसितरीय बैठक](#) में मत्स्य पालन (मात्स्यिकी) सब्सिडी (AFS) पर समझौता हुआ।

WTO मंत्रसितरीय सम्मेलन

WTO:

- यह वर्ष 1995 में अस्तित्व में आया।
 - वशिव व्यापार संगठन द्वितीय वशिव युद्ध के मद्देनजर स्थापति **टैरफि और व्यापार (GATT)** पर सामान्य समझौते के स्थान पर अपनाया गया।
- इसका उद्देश्य व्यापार प्रवाह को **सुचारू, स्वतंत्र और अनुमानति रूप से संचालति करना है।**
- इसमें **164 सदस्य शामिल हैं।**

वशिव व्यापार संगठन का मंत्रसितरीय सम्मेलन (MC):

- यह वशिव व्यापार संगठन का **शीर्ष नरिणय लेने वाला नकियाय है** और आमतौर पर हर दो वर्ष में इसकी बैठक होती है।
- वशिव व्यापार संगठन के सभी सदस्य मंत्रसितरीय सम्मेलन में शामिल होते हैं और वे कसि भी बहुपक्षीय व्यापार समझौते के तहत आने वाले सभी मामलों पर नरिणय ले सकते हैं।

समझौते के बारे में:

परचिय:

- यह समझौता वैश्विक मछली स्टॉक की बेहतर सुरक्षा के लिये **अवैध, गैर-सूचति और अनयिमति तरीके (IUU)** से मछली पकड़ने के मामले में **सब्सिडी** पर रोक लगाएगा।
- यह समझौता गहरे समुद्री क्षेत्र **जो कतितीय देशों और क्षेत्रीय मत्स्य प्रबंधन संगठनों/व्यवस्थाओं के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, में मछली पकड़ने** के मामले में भी सब्सिडी प्रदान करने पर रोक लगाता है।

संक्रमण अवधिभत्ता:

- वशिश और वभिदक उपचार (S&DT)** के तहत विकिसशील देशों तथा अल्प विकिसति देशों (LDC) को इस समझौते के लागू होने की तारीख से दो साल की संक्रमण अवधिकी अनुमति दी गई है।
 - नरिदषिट अवधि के लिये वनियिम को लागू करने हेतु उनका **कोई दायतिव नहीं होगा।**

छूट प्राप्त क्षेत्र:

- WTO के कसि सदस्य पर अपने पोत या प्रचालक को सब्सिडी प्रदान करने या बनाए रखने के संबंध में कोई प्रतबिंध नहीं लगाया गया है, जब तक कविह **गैर-सूचति और अनयिमति तरीके नहीं अपना रहा है।**
- जब तक इस तरह की सब्सिडी को जैविक रूप सेटकिकु स्तर पर **स्टॉक के पुनरनरिमाण के लिये लागू कया जाता है, तब तक मछली पकड़ने हेतु सब्सिडी प्रदान करने पर कोई प्रतबिंध नहीं लगाया गया है।**

लाभ:

- यह गैर-सूचि और अनयिमति तरीके से मछली पकड़ने में लगे जहज़ों या ऑपरेटर्स को दी जाने वाली सब्सिडी को समाप्त कर देगा।
- यह **बड़े पैमाने पर गैर-सूचि और अनयिमति तरीके से मछली पकड़ने की जाँच करेगा** जो भारत जैसे तटीय देशों को मत्स्य संसाधनों से वंचित करेगा, जसिका हमारे मछली पकड़ने वाले समुदायों की आजीविका पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

भारत का स्टैंड

- इतनी बड़ी आबादी और मात्स्यिकी संसाधनों का सतत दोहन करने में अनुशासित राष्ट्रों में से एक होने के बावजूद भारत सबसे कम मात्स्यिकी सब्सिडी देने वाले देशों में से एक है।
- भारत अन्य उन्नत तरीकों से मछली पकड़ने वाले देशों की तरह संसाधनों का दोहन नहीं करता है और भारत का मत्स्य पालन क्षेत्र मुख्य रूप से कई मिलियन छोटे पैमाने के पारंपरिक मछुआरों पर निर्भर करता है।
 - इसलिये विश्व व्यापार संगठन के वे सदस्य जिनोंने अतीत में भारी सब्सिडी प्रदान की है और औद्योगिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने के कार्य में लगे हुए हैं तथा जो मछली के स्टॉक में कमी के लिये ज़िम्मेदार हैं, उन्हें 'प्रदूषणकरता भुगतान सिद्धांत (Polluter Pays Principle)' एवं 'सामान्य लेकिन अलग-अलग ज़िम्मेदारियों' के आधार पर सब्सिडी को प्रतिबंधित करने हेतु और अधिक दायित्वों को लेना चाहिये।
- परचियः
 - समुद्री, तटीय और अंतरदेशीय फिशिरीज़ क्षेत्रों में जलीय जीवों का कब्ज़ा है।
 - जलीय कृषि के साथ-साथ समुद्री और अंतरदेशीय मत्स्य पालन, प्रसंस्करण, विपणन तथा वितरण दुनिया भर में लाखों लोगों को भोजन, पोषण व आय का स्रोत प्रदान करते हैं।
 - कई लोगों के लिये यह उनकी पारंपरिक सांस्कृतिक पहचान का भी हिस्सा है।
 - वैश्विक मत्स्य संसाधनों की स्थिरता के लिये सबसे बड़े खतरों में से एक अवैध, असूचि और अनयिमति रूप से मछली पकड़ना है।
- भारतीय परिदृश्यः
 - भारत विश्व में जलीय कृषि के माध्यम से मछली उत्पादक दूसरा प्रमुख देश है, जो वैश्विक उत्पादन का 7.56% हिस्सा है और देश के सकल मूल्यवर्द्धति (GVA) में लगभग 1.24% और कृषि GVA में 7.28% से अधिक का योगदान देता है।
 - मत्स्य पालन और जलीय कृषि लाखों लोगों के लिये भोजन, पोषण, आय और आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
 - भारत का लक्ष्य वर्ष 2024-25 तक 22 मिलियन मीट्रिक टन मछली उत्पादन करना है।
 - मत्स्य पालन क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों में तीन बड़े परिवर्तन देखे हैं:
 - अंतरदेशीय जलीय कृषि का विकास, विशेष रूप से मीठे पानी की जलीय कृषि।
 - मछली पकड़ने में मशीनीकरण का विकास।
 - खारे पानी के झीला जलीय कृषि की सफल शुरुआत।
- संबंधित सरकारी पहलः
 - फिशिगि हार्बरः
 - पाँच प्रमुख फिशिगि हार्बर (कोच्ची, चेन्नई, विशाखापत्तनम, पारादीप, पेट्टाआघाट) को आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित करना।
 - समुद्री शैवाल पार्कः
 - तमिलनाडु में बहुउद्देशीय **समुद्री शैवाल पार्क** एक हब और स्पोक मॉडल पर विकसित गुणवत्तापूर्ण समुद्री शैवाल आधारित उत्पादों के उत्पादन का केंद्र होगा।
 - प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनाः
 - यह 15 लाख मछुआरों, मत्स्य पालकों आदि को प्रत्यक्ष रोज़गार देने का प्रयास है जो अप्रत्यक्ष रोज़गार के अवसरों के रूप में इस संख्या का लगभग तीन गुना है।
 - इसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक मछुआरों, मत्स्य पालकों और मत्स्य श्रमिकों की आय को दोगुना करना है।
 - 'पाक बे' योजनाः
 - 'डायवर्सफिकेशन ऑफ ट्राउल फिशिगि बोर्ड्स फ्रॉम पाक स्ट्रेट्स इनटू डीप सी फिशिगि बोर्ड्स' नामक यह योजना वर्ष 2017 में 'केंद्र प्रायोजित योजना' के तौर पर लॉन्च की गई थी।
 - इसे 'ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम' के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था।
 - समुद्री मत्स्य पालन विधियक, 2021ः
 - इस विधियक में 'मर्चेंट शिपिंग एक्ट, 1958' के तहत पंजीकृत जहाज़ों को 'अनन्य आर्थिक क्षेत्र' (EEZ) में मछली पकड़ने के लिये लाइसेंस देने का प्रस्ताव शामिल है।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्नः

प्रश्न. 'एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर (Agreement on Agriculture)' एग्रीमेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ सैनटिरी एंड फाइटोसैनटिरी मेज़र्स (Agreement on Application of Sanitary and Phytosanitary Measures) और 'पीस क्लॉज़ (Peace Clause)' शब्द प्रायः समाचारों में किसके मामलों के संदर्भ में आते हैं?

- खाद्य और कृषि संगठन
- जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का रूपांखा सम्मेलन

